FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ........ सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ........ मुकाम ........

........ लाद्दी वगैरा ........ बनाम ........ महाराम वगैरा ........

किस्म मुकदमा ........ राजस्व आवेदन ........ नं. ........ 114 ........ सन ........ 2020 ........

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/6/2020 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ........ कुम्भसिंह चौधरी ........ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ........ 111, 128 ........ राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ........ 24/6/2020 ........ को पेश हो।<br>विवेक व्यास 16.6.2020<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 24/06/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त/इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/06/2020 को पेश हो।<br>विवेक व्यास<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 30/06/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस [illegible] 14/07/2020 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:41:56 IST
Reason: SelfAttested

14/07/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुप०।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपार्थीगणों के खातेदारी खेत सेना सेड माये हुए है प्रार्थी व विपार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांडे व कोने आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य खेतों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:41:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/501
दिनांकः– 14/7/2020

राजस्व आवेदन संख्या –114/2020

**प्रार्थी** बनाम **विप्रार्थीगण**

लाछीदेवी पत्नि खेमाराम वगैरा 01 निवासी –नवलजी का नगर, नया सोमेसरा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री मेघाराम पुत्र श्री राणाराम वगैरा 09, निवासी– नवलजी का नगर, नया सोमेसरा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलजी का नगर, नया सोमेसरा पटवार हल्का नौसर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 4.0369 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास 14.7.2020

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/
दिनांकः–

**प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमती लाछीदेवी पत्नि खेमाराम वगैरा 01।
4. विप्रार्थीगण श्री मेघाराम पुत्र श्री राणाराम वगैरा 09।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:41:56 IST
Reason: SelfAttested